किया जा रहा है तथा उसे सभी समुदायों द्वारा अपनाया जा रहा है । 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का धर्म-वार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

बीमारियों का उन्मूलन

979. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ट रोग, यक्ष्मा मोतियाबिन्द और कैन्सर की स्थिति क्या है तथा इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए क्या योजना है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार के प्रयास किस सीमा तक सफल हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इन रोगों की स्थिति और इनके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए किए उपाय तथा उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कुष्ठ रोग : देश में कुष्ठ के फैलने की औसत दर 1981 की प्रति हजार आबादी पर 5.77 है । इस शताब्दी के अन्त तक देश से कुष्ठ का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों और केन्द्रों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन लगभग 4.00 लाख नए रोगियों का पता लगाया जाता है और रोग रहित करके लगभग 3 लाख रोगियों को छुट्टी दी जाती है । मार्च, 1984 तक 31 लाख कुष्ठ रोगी दर्ज किए गए थे । इनमें से 29 लाख रोगियों को इलाज प्रदान किया जा रहा था ।

क्षय रोग : अनुमान है कि कुल जनसंख्या में से लगभग 1.5 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित हैं और उनका यह रोग एक्सरे के हिसाब से सक्रिय है । उनमें से एक चौथाई लोगों का थूक पाजिटिव है अर्थात् वे संक्रामक हैं । सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है । इसके अन्तर्गत रोगियों का पता लगाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नए यक्ष्म-रोग-सूचक व्यक्तियों के थूक की जांच करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । वर्ष 1983–84 में 12.50 लाख रोगियों का पता लगाने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें से लगभग 12.08 नए रोगियों का पता लगाया गया और उन्हें इलाज प्रदान किया गया ।

दृष्टिहीनता : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1973–75 में देश के विभिन्न भागों में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 90 लाख व्यक्तियों के दृष्टिहीन होने का अनुमान है । लगभग 55 प्रतिशत दृष्टिहीनता का कारण मोतियाबिन्द है जो प्रायः बुढ़ापे में होता है । भारत सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम चलाया है जिसमें मोतियाबिन्द आपरेशनों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है । पिछले तीन वर्षों में किए गए मोतियाबिन्द के आपरेशनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1981–82	5.5 लाख
1982–83	8.5 लाख
1983–84	10.45 लाख
1984–85	12.87 लाख (लक्ष्य)

कैंसर :— कैंसर न तो सूचनीय रोग है और न ही पंजीकरणीय । कैंसर के प्रकोप का पता लगाने के बारे में देशवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है । वैसे मोटे अनुमानों के अनुसार देश में किसी एक अवधि में लगभग 5 लाख कैंसर के रोगी होते हैं । भारत सरकार ने कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम चलाया है । इसके अन्तर्गत अभी तक अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, गौहाटी, ग्वालियर, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में नौ क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए गए हैं । राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संस्थाओं को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट लगाने और शुरू में ही कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है । देश के प्रायः सभी प्रमुख अस्पतालों में कैंसर के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

Malpractices in Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha

980. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of any malpractices being followed in the matter of admission to the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha;

(b) if so, what action Government propose to take in the matter; and

(c) what is the number of seats reserved for management of the institute?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) The Government of India are not aware of any malpractices in the matter of admission of students to the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha.

(b) Does not arise.

(c) Two seats are reserved for management of the Institute for the year 1984-85.

Procedure for admission in medical college

981. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what procedure is followed for admission to various medical colleges in the country;

(b) what procedure is followed for admission to the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha; and

(c) whether any preference for admission to the local candidates is given?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Candidates for admission to the Medical Course must have obtained not less than 50 per cent of the total marks in English and Physics, Chemistry & Biology taken together; except in respect of candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes, the minimum marks required for admission shall be 40 per cent in lieu of 50 per cent for general candidates. Candidates seeking admission to MBBS course have to satisfy the eligibility criteria as per the rules and procedures prescribed by the concerned State/U.T., Universities, subject also to the prescribed norms of the Medical Council of India.